


उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन शहर में मार्ग क्रमांक 03,  
के लिए साँची दुग्ध वितरक  
सह-परिवहनकर्ता  
हेतु द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र  
वर्ष 2020—23



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन  
मक्सी रोड़ डेयरी प्लाट, उज्जैन-456001  
दूरभाष — 2527061,2527068,2527066

मोनो

**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456001 (म.प्र.)

दूरभाष – 0734—2527068, फैक्स नं. 2527063

**उज्जैन शहर में मार्ग क्रमांक 03 पर साँची दुग्ध वितरक सह-परिवहनकर्ता  
की नियुक्ति हेतु द्वितीय ई-निविदा सूचना**

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन शहर में मार्ग क्रमांक 03 के लिए साँची दूध के विक्रय हेतु 1 साँची दुग्ध वितरक सह-परिवहनकर्ता प्रतिलीटर परिवहन दर पर नियुक्त करने के लिए तीन वर्ष की अवधि (जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।) हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आवेदक वेबसाईट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से निविदा प्रपत्र दिनांक 23/09/2020 प्रातः 11:00 बजे से 30/09/2020 प्रातः 11:00 बजे तक ऑनलाईन क्रय कर पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन जमा करें। निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने होंगे, साथ ही अमानत राशि रु. 25,000/- को ऑनलाईन जमा करना होगा। प्राप्त सभी निविदाओं की तकनीकी अर्हताएं दिनांक 01/10/2020 दोपहर 12:00 बजे निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जावेंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय दरें दिनांक 03/10/2020 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जाएंगी। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेब साईट [www.mpcdf.gov.in](http://www.mpcdf.gov.in) पर लॉग ऑन करें।

किसी भी निविदा को बिना कारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**  
**दुग्ध परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन हेतु**  
**निविदा प्रपत्र**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | ई—निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय एवं जमा करने की प्रारंभ तिथि एवं समय                           | दिनांक 23 / 09 / 2020 प्रातः 11:00 बजे से     |
| 2  | ई—निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि व समय                                 | 30 / 09 / 2020 प्रातः 11:00 बजे तक            |
| 3  | तकनीकी बीड ऑनलाईन रूप से खोलने की तिथि एवं समय  | 01 / 10 / 2020 दोपहर 12:00 बजे                |
| 4  | वित्तीय बीड (प्राइज बीड) खोलने की तिथि एवं समय  | 03 / 10 / 2020 अपराह्न 3:00 बजे               |
| 5  | निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि   | ईएमडी राशि रूपये 25,000/- ऑनलाईन भुगतान करें। |
| 6  | निविदा प्रपत्र का मुल्य   | रूपये 500/- (पांच सौ मात्र)                   |
| 7  | निविदा खोलने का स्थान एवं पता   | उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन      |
| 8  | दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें एवं तकनीकी अर्हताएं का प्रारूप। | प्रपत्र 01 एवं 02 लिफाफा 'A'                  |
| 9  | "भाव पत्र/दरें" प्रस्तुत करने का प्रारूप  | प्रपत्र— 03 (केवल ऑनलाईन भरें।)               |
| 10 | अनुबंध का प्रारूप   | प्रपत्र — 04                                  |

**निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :—**

- निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 4 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावगी।
- अपूर्ण दस्तावेज एवं बिना ईएमडी राशि के प्रस्तुत की गई ई—निविदा मान्य नहीं किये जाएंगे।

**टिप्पणी :—**

1. ऑनलाईन निविदा अपलोड एवं प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु यदि निविदा तकनीकी बीड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।
2. **निविदा कार्य अवधि :—**  
 निविदाएं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2020–2023 (3 वर्ष) के लिए आमंत्रित है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक—एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

## साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें

1. “अ”— निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईंज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. टंकण वृद्धि या किसी अन्य कारण से अनुबंध की कण्डिका की स्पष्टता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब अनुबंध की कण्डिका को स्पष्ट करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होगा, जो कि द्वितीय पक्ष को बन्धनकारी होगा।
- “ब”— निविदाकार के पास विगत तीन वर्ष का दूध एवं दुग्ध पदार्थ अथवा एफएमसीजी विक्रय में अनुभव होना आवश्यक है तथा विगत तीन वर्षों में न्यूनतम कुल 1 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर के सत्यापन हेतु अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेन्ट से सील एवं हस्ताक्षर सहित बेलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य है।
3. एक निविदाकार उज्जैन शहर के चारों मार्गों के लिए निविदा भर सकेगा। किसी भी स्थिति में एक निविदाकार को एक से अधिक मार्ग का आवंटन नहीं किया जावेगा।
4. निविदाकार के पास मार्ग की मांग अनुसार स्वयं का अथवा अनुबंधित आवश्यक क्षमता के इंसुलेटेड चार पहिया (वर्ष 2016 या उसके बाद का मॉडल) वाहन होना आवश्यक है यदि निविदाकार नया/वर्ष 2016 के मॉडल के बाद का चार पहिया वाहन क्रय करना चाहता है या अनुबंधित करना चाहता है तो तदाशय का मूल शपथ पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। वाहन को इंसुलेटेड कराने हेतु एक माह का समय दिया जावेगा। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या पफ इंशुलेटेड 02 इंच) वर्ष – 2016 या उसके बाद पंजीकृत वाहन होना चाहिए, वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
5. निविदाकार को चयन उपरांत साँची दूध वितरण करने हेतु स्वयं के अथवा अनुबंधित न्यूनतम दो ई-रिक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी, जो कि आवश्यकता अनुसार बढ़ाये जा सकेंगे।
6. निविदाकार को चयन उपरांत वितरण हेतु लगाये जाने वाले वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध/रजिस्ट्री/वाहन रजिस्ट्रेशन तथा वाहनों पर कार्यरत वाहन चालक/ हेल्पर की जानकारी हेतु आधार कार्ड/ड्रायविंग लयसेन्स की छायाप्रति भी जमा करवाने होंगे।
7. निविदाकार आवेदक निविदा के साथ रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
8. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
9. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वितरक सह–परिवहनकर्ता को प्रतिभूति राशि मद में रु. 10,00,000/- आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होंगे। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएंगे।
10. सफल निविदाकार को उज्जैन दुग्ध संघ से साँची दूध वितरण हेतु वर्तमान क्रेट दर अनुसार न्यूनतम 600 क्रेट क्रय करनी होगी। विक्रय वृद्धि होने पर विक्रय मात्रा के समतुल्य ही क्रेट क्रय करना अनिवार्य होगा। क्रेट राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएंगे। उपयोग किये गये क्रेट वापस नहीं किये जाएंगे।

11. निविदाकार को स्वीकृति उपरांत स्वहस्ताक्षरित ब्लेंक चेक बुक दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। भविष्य में अतिरिक्त संख्या में चेक की आवश्यकता होने पर स्वहस्ताक्षरित ब्लेंक चेक बुक प्रस्तुत करनी होगी।
12. दुग्ध संघ से क्रय किये गये दूध मात्रा की राशि आरटीजीएस के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी। किसी भी परिस्थिति में वितरक सह—परिवहनकर्ता को प्रतिभूति राशि के विरुद्ध दूध प्रदाय नहीं किया जावेगा।
13. निविदा प्रपत्र के साथ अथवा अनुबंध अवधि में किसी भी समय आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही ऐसी निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
14. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
15. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।
16. निविदाकार को निविदा “प्रपत्र क्रमांक 3” जिसमें दरें भरनी होगी, सिफ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाय एवं भौतक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त माना जावेगा।
17. उज्जैन शहर के मार्ग 03 के लिए कमीशन रु. 0.50 प्रतिलीटर प्रदाय किया जावेगा, जिसमें रु. 0.36 वितरक मार्जिन, रु. 0.05 लीकेज कम्पनसेशन, रु. 0.05 क्रेट रख—रखाव हेतु एवं वाहन विज्ञापन हेतु रु. 0.04 सम्मिलित है।
18. किसी भी/समस्त निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
19. निविदा प्रपत्र के साथ दुग्ध संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप पढ़ कर समझ लें। वर्तमान में मार्गवार विक्रय केन्द्र एवं उन पर विक्रय हो रहे सॉची दूध की मात्रा की जानकारी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
20. निविदा स्वीकृति के उपरांत वितरक सह—परिवहनकर्ता की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्षों की अवधि में संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तें एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके दो वर्षों तक आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।
21. निविदा अवधि के दौरान किसी वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दुग्ध विक्रय होने पर संबंधित वितरक सह—परिवहनकर्ता को प्रबंधन के निर्देशानुसार अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
22. सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
23. वितरक सह—परिवहनकर्ता को FSSAI के नियमों के अन्तर्गत पंजीयन कराना/लायसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा।
24. निविदा प्रपत्र क्रमांक 04 में अनुबंध से संबंधी दर्शाई गई समस्त शर्तें इस निविदा पर बंधनकारी रहेगी।
25. वितरक सह—परिवहनकर्ता को न्यूनतम 10,000 लीटर प्रतिदिन दूध विक्रय करना अनिवार्य होगा। साथ ही दुग्ध विक्रय हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, (गतवर्ष समान माह में हुई दूध विक्रय मात्रा से 10 प्रतिशत अधिक) जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। लक्ष्य पूर्ति न करने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
26. उज्जैन दुग्ध संघ के साथ वर्तमान में कार्यरत कोई भी परिवहनकर्ता/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया जा सकेगा।

27. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक यदि इस निविदा में भाग लेना चाहते हैं तो निविदा में भाग लेने से पूर्व वर्तमान ठेके से सबंधित लेनदारी—देनदारी का पूर्ण हिसाब कर समस्त बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कराकर विपणन शाखा से नो—ड्यूज प्राप्त करना होगा। तदोपरान्त ही निविदा में भाग लिया जा सकेगा अन्यथा निविदा निरस्त होकर ई.एम.डी. राशि राजसात हो जावेगी तथा भविष्य के लिए ऐसी पार्टी को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा।
28. दुग्ध संघ के साथ पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ऐसे ठेकेदार जिनकी तरफ दुग्ध संघ की कोई भी बकाया राशि, क्रेट अथवा अन्य सामग्री लंबित है इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे पूर्व ठेकेदार इस निविदा में भाग लेना चाहते हैं तो निविदा में भाग लेने के पूर्व समस्त बकाया राशि एवं क्रेट आदि दुग्ध संघ में जमा कर प्राप्त एनओसी को निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा स्वतः ही निरस्त हो जावेगी तथा ई.एम.डी. राशि राजसात कर ली जावेगी।
29. ऐसी कोई भी पार्टी जिनसे वसूली अथवा अन्य प्रकरण में दुग्ध संघ के न्यायीक प्रकरण किसी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
30. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड कर मूल शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
31. कोई भी निविदाकार एमपीसीडीएफ भोपाल एवं सम्बद्ध समस्त दुग्ध संघों में से किसी भी कार्यों/अनुबंध हेतु अनियमितताओं के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं होना चाहिए अन्यथा ऐसे निविदा स्वतः निरस्त माने जाएंगे। इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड कर मूल शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
32. ऐसे व्यक्ति/फर्म इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड कर मूल शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
33. यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो एक समान न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले समस्त निविदाकारों में से कार्यावंटन हेतु चयन गठित समिति के समक्ष लॉट्री द्वारा किया जावेगा।  
मेरे द्वारा साँची दूध वितरक सह—परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/ हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी निविदा कार्यवाही के दौरान अथवा भविष्य में कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 33 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो मेरी निविदा/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने का दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
उज्जैन

पासपोर्ट  
साईज फोटो  
(स्व प्रमाणित)

महोदय,

दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ताओं के कार्य हेतु दिनांक ..... को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई—निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतत् द्वारा ई.एम. डी. राशि रु. 25,000/- (अक्षरी रु. पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाईन रूप से जमा की गई हैं, जिसकी स्लीप संलग्न है।

## तकनीकी अहर्ताएं

| क्रमांक | आवश्यक अहर्ता   | विवरण<br>जानकारी | अनिवार्यतः संलग्न<br>किये जाने वाले स्व<br>प्रमाणित दस्तावेज         |
|---------|---|------------------|--|
| 1.      | निविदाकार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)  |                  | संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।                     |
| 2       | यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।   |                  | पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।  |
| 3       | संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम   |                  | संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र। |
| 4       | निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।  |                  | पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।                                   |
| 5       | साँची दुग्ध वितरण हेतु स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन मॉडल – 2016 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। (नया अथवा मॉडल – 2016 या उसके बाद का वाहन खरीदने / अनुबंधित करने की स्थिति में रु. 100/- के स्टॉम्प पेपर पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। स्वयं का वाहन होने पर पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्न करें) |                  | उपलब्ध वाहन के पंजीयन या शपथ पत्र संलग्न करें।                       |
| 7       | निविदाकार का FSSAI का लायसेन्स (वितरक/ होल सेलर) आवश्यक है।   |                  | FSSAI प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।                            |
| 8       | बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक  |                  | बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  | छायाप्रति या निरस्त चेक लगावे।           |
| 9  | वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण   |  | आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती। |
| 10 | निविदाकार एमपीसीडीएफ/अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लॉक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत् का रु. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)   |  | शपथ पत्र संलग्न करें।                    |
| 11 | निविदाकार दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं हैं। (इस बाबत् का रु. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र) |  | शपथ पत्र संलग्न करें।                    |
| 12 | निविदाकार के विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत् रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)   |  | शपथ पत्र संलग्न करें।                    |
| 13 | विगत तीन वर्षों में कुल न्यूनतम टर्नओवर रु. 1 करोड़ अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है।  |  | बेलेन्स शीट की छायाप्रति संलग्न की जाए।  |
| 14 | ईएमडी राशि रु. 25,000/- ऑनलाईन जमा की स्लीप   |  | संलग्न करें।                             |

#### नोट:-

- उक्त समस्त शपथ पत्र रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक—पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- तकनीकी अहताओं संबंधित प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र क्रमांक 02 पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर ऑनलाईन जमा आर्नेस्ट मनी की स्लीप एक लिफाफे में एवं निविदा दर सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 03 ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अहताएं पूर्ण करने वाले निविदाकार की ही निविदा दरें खोली जावेगी। प्रपत्र क्रमांक 04, अनुबंध की शर्तों का प्रारूप पढ़कर, समझकर मान्य होने की स्थिति में ही निविदा प्रस्तुत करें।
- उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी वर्तमान में अथवा भविष्य में कभी भी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर .....

नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

दूरभाष नम्बर \_\_\_\_\_

मोबाइल नम्बर \_\_\_\_\_

साँची दूध वितरक सह—परिवहनकर्ता हेतु भाव पत्र  
(केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु)  
(उज्जैन शहर मार्ग क्रमांक 03 हेतु)

- निविदा में निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूँ। (केवल ऑनलाईन प्रस्तुत की गई दर ही मान्य की जावेगी।)

| क्र. | विवरण                      | प्रस्तावित दर (रूपये / पैसे) प्रतिलीटर |                      |
|------|----------------------------|--|----------------------|
|      |                            | अंको में                               | शब्दों में           |
| 1    | वितरक मार्जिन              | 0.50                                   | अक्षरी पचास पैसे     |
| 2    | परिवहन दर रु. प्रतिलीटर    | ऑनलाईन प्रस्तुत करे।                   | ऑनलाईन प्रस्तुत करे। |
|      | <b>कुल मार्जिन (1 + 2)</b> |  |                      |

नोट :—यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती है तो चयन गठित समिति के समक्ष लॉट्री द्वारा किया जावेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

निविदाकार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम  
एवं पूर्ण पता

पता—  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अथवा इस पद पर आने वाले पदाधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड उज्जैन एवं द्वितीय पक्ष श्री/ श्रीमती..... / प्रोप्रायटर मेसर्स..... है।

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उज्जैन शहर के लिए मार्ग क्रमांक 03 पर साँची दुग्ध का वितरक सह-परिवहनकर्ता निम्नानुसार शर्तों पर नियुक्त करना स्वीकार किया है।

संलग्न परिशिष्ट इस अनुबंध का एक भाग है, जिसे वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु शर्ते कहा जावेगा, उक्त शर्तों में जहां – जहां दुग्ध संघ शब्द आवेगा, उसका अर्थ उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन से होगा एवं इसकी समस्त शर्तें दोनों पक्षों के लिए लागू रहेगी।

वितरक सह-परिवहनकर्ता से तात्पर्य ..... से होगा, जिसे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। यह ठेका प्रारंभ दिनांक ..... से तीन वर्ष की अवधि हेतु अर्थात दिनांक ..... तक प्रभावशील रहेगा। उज्जैन शहर के लिए वितरक सह परिवहनकर्ता कमीशन रूपये 0.50 (पचास पैसे मात्र) प्रति लीटर तथा प्रदाय किये गये दूध पर वितरण परिवहन दर रूपये ..... प्रति लीटर इंसुलेटेड वाहन हेतु रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि का भुगतान द्वितीय पक्ष को नहीं किया जावेगा।

1. वर्तमान में वितरक सह-परिवहनकर्ता को रूपये 0.50 प्रतिलीटर वितरक मार्जिन दिया जा रहा है। जिसमें रु. 0.36 वितरक मार्जिन, रु. 0.05 लीकेज कम्पनसेशन, रु. 0.05 क्रेट रख-रखाव हेतु एवं वाहन विज्ञापन हेतु रु. 0.04 सम्मिलित है। संघ द्वारा समय-समय पर वितरक मार्जिन के संशोधित करने पर वितरक सह-परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा। वितरक सह-परिवहनकर्ता की परिवहन दर निविदा में स्वीकृत परिवहन दर अनुसार रहेगी।
2. वितरक सह-परिवहनकर्ता को मार्ग की मांग अनुसार स्वयं का अथवा अनुबंधित आवश्यक क्षमता के इंसुलेटेड चार पहिया (वर्ष 2016 या उसके बाद का मॉडल) वाहन लगाना होना आवश्यक होगा। यदि निविदाकार नया/वर्ष 2016 के मॉडल के बाद का चार पहिया वाहन क्रय करना चाहता है या अनुबंधित करना चाहता है तो। वाहन को अनुबंधित/स्वयं के नाम से/इंसुलेटेड कराने हेतु एक माह का समय दिया जावेगा। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या पफ इंशुलेटेड 02 इंच) वर्ष – 2016 या उसके बाद पंजीकृत वाहन होना चाहिए, वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
3. वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा डेयरी संयंत्र उज्जैन से निविदा में वर्णित अनुसार स्वयं के नाम से पंजीकृत/अनुबंधित वांछित इंसुलेटेड वाहन से आवश्यकतानुसार पैकेट दूध उठाया जाएगा एवं शहर में आवंटित मार्ग पर स्थित साँची पॉलर/रिटेलर/संस्था आदि को निर्धारित समय पर दूध वितरित किया जाएगा, तथा प्रतिदिन सुबह एवं शाम दोनों पालियों में सम्पूर्ण मार्ग पर अनिवार्य रूप से प्रदायगी करनी होगी।

4. वितरक सह—परिवहनकर्ता को शहर में एक कार्यालय खोलना होगा तथा इस कार्यालय में समस्त आवश्यक विपणन संबंधी अधोसंरचना स्थापित करना होगी।
5. संघ के अतिरिक्त वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को भी अपने स्तर से दुग्ध विक्रय केन्द्र चालू करना होंगे जिसकी जानकारी दुग्ध संघ को देना होगी।
6. वितरक सह—परिवहनकर्ता को न्यूनतम 10,000 लीटर प्रतिदिन दूध विक्रय करना अनिवार्य होगा। साथ ही दुग्ध विक्रय हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, (गतवर्ष समान माह में हुई दूध विक्रय मात्रा से 10 प्रतिशत अधिक) जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। लक्ष्य पूर्ति न करने पर संक्षिप्त समीक्षा कर वितरक सह — परिवहनकर्ता को कार्य समाप्त किया जा सकेगा।
7. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ता को दूध वितरण करने क्रेट वापस करने समस्त विक्रय केन्द्रों से पृथक—पृथक मांग प्राप्त कर समेकित रूप से प्रस्तुत करने तथा दूध की राशि प्राप्त करने के लिए वितरक को 50 पैसे प्रतिलीटर का मार्जिन दिया जाएगा तथा दुग्ध संघ द्वारा रिटेलरों या उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले मार्जिन, अग्रिम कार्ड छूट या अन्य प्रोत्साहन योजना को यथावत पास आँन करना होगा।
8. वितरक सह—परिवहनकर्ता को प्रतिभूति राशि मद में एम.आर. क्रमांक ..... दिनांक ..... रु. 10,00,000/- नगद आरटीजीएस के माध्यम से जमा किये गये है। जिस पर दुग्ध संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
9. वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ से साँची दूध वितरण हेतु वर्तमान क्रेट दर अनुसार एम.आर. नम्बर ..... दिनांक ..... राशि रु. ..... जमा करन न्यूनतम 600 क्रेट क्रय की गई है। विक्रय वृद्धि होने पर विक्रय मात्रा के समतुल्य ही क्रेट क्रय करना अनिवार्य होगा।
10. वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ में बैंक शाखा एवं नाम ..... चेक क्रमांक ..... से ..... तक के ब्लेंक चेक स्वहस्ताक्षरित जमा किये गये है।
11. दुग्ध संघ से क्रय की गई मात्रा की राशि आरटीजीएस के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी। किसी भी परिस्थिति में वितरक सह—परिवहनकर्ता को प्रतिभूति राशि के विरुद्ध दूध प्रदाय नहीं किया जावेगा।
12. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को दैनिक रूप से दुग्ध विक्रय के विरुद्ध राशि संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों से स्वयं वसूल करना होगी। विक्रय केन्द्रों से राशि वसूलने की जिम्मेदारी वितरक सह—परिवहनकर्ता की होगी।
13. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को प्रतिदिन दुग्ध विक्रय राशि (सुबह शाम मिलाकर) का भुगतान आरटीजीएस (ई—पेमेन्ट) के माध्यम से अग्रिम जमा करना होगा। ई—पेमेन्ट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित मार्ग के दुग्ध परिवहनकर्ता को दुग्ध प्रदाय किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति जैसे — इंटरनेट बैंकिंग के सर्वर डाउन होने, आदि की स्थिति में वितरक सह परिवहनकर्ता की संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। धनादेश देकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश बाउंस होने पर संघ के नियम अनुसार रूपये 1000/- प्रतिदिन अर्थदण्ड सहित संपूर्ण राशि संघ में जमा करनी होगी। राशि जमा न करने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरक का कानुनी कार्यवाही मय हर्जे—खर्चे करने हेतु स्वतंत्र होगा, तथा बाउंस धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। या उसके द्वारा रखी गई जमानत राशि/बैंक ग्यारंटी फिक्स डिपॉजिट/ग्यारंटर से अलग—अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अवकाश की स्थिति में अवकाश दिवसों की प्रदायगी की धनराशि भी अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। यह भुगतान चेक/आरटीजीएस के माध्यम से संघ द्वारा प्राप्त किया जाएगा। विशेष

परिस्थितियों में वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा संघ के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर नगद राशि भी संघ में जमा की जा सकेगी। संघ द्वारा बताई गई बैंकों की सूची में से किसी एक बैंक में वितरक सह—परिवहनकर्ता को वित्तीय व्यवहार के लिए खाता खोलना अनिवार्य होगा।

14. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा जितने क्रेट दुग्ध प्रदाय हेतु लिये जाएंगे उतने ही क्रेट दैनिक रूप से दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा तथा वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा अपने दस्तावेज लाकर क्रेटों का मिलान प्रत्येक 10 दिवस में दुग्ध संघ के रिकॉर्ड से किया जाएगा।
15. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को शाम पाली की मांग दैनिक रूप से दिन के 11 बजे तक एवं अगले दिन की प्रातः पाली की मांग शाम की 3 बजे तक संघ को अवगत कराना होगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में यदि मांग में वृद्धि की जाना है तो वितरक सह—परिवहनकर्ताओं कार्यालय से सहमति लेने के उपरांत ही मांग की पुष्टि कर सकेगा। दुग्ध संघ स्तर से पुरे प्रयास किये जाएंगे कि वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को मांग अनुसार दूध प्रदाया किया जा सके। किन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि संघ द्वारा मांग अनुसार दूध प्रदाय संभव नहीं हो पाता है तो दुग्ध संघ द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी।
16. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को निविदा में वर्णित क्षमता एवं मॉडल अनुसार दुग्ध वितरण व्यवस्था हेतु स्वयं के नाम का पंजीकृत/अनुबंधित इंसलेटेड वाहन के माध्यम से करना होगी जिससे की दूध गुणवत्ता में किसी प्रकार का विपरित प्रभाव परलक्षित न हो।
17. वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर वितरण वाहनों को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन से पेन्ट/विनाईल पेस्टिंग कराना आवश्यक होगा।
18. किसी भी वाहन के खराब होने पर, दुर्घटनाग्रस्त होने या अन्य कोई कमी होने के कारण वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था स्वयं वितरक सह—परिवहनकर्ताओं अपने स्तर से करना अनिवार्य होगा तथा ऐसी स्थिति में हुए सभी प्रकार के नुकसान वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा वहन किया जावेगा।
19. वितरक सह—परिवहनकर्ता को दूध बिलिंग दुग्ध संघ की दर संरचना आधार पर ही की जावेगी, उसी प्रकार वितरक सह—परिवहनकर्ता विक्रेता/रिटेलर्स को दर संरचना अनुसार बिलिंग करेगा। प्रत्येक माह वितरक सह—परिवहनकर्ता अपना परिवहन देयक दुग्ध संघ को प्रस्तुत करेगा। दुग्ध संघ द्वारा परिवहन देयक की राशि वितरक सह—परिवहनकर्ता के खाते में क्रेडिट की जावेगी।
20. दुग्ध संघ द्वारा संस्थाओं को सीधे प्रदाय किये गये दूध की मात्रा पर वितरक मार्जिन नहीं दिया जाएगा। अर्थात् केवल स्वीकृत दरों पर परिवहन व्यय ही दिया जाएगा। इस हेतु संबंधित संस्थाओं से प्रदायित मात्रा सत्यापित करवाकर देयक के साथ प्रस्तुत करना होगी। यदि दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्था को प्राप्त मात्रा में कोई भिन्नता/कमी होती है तो कम मात्रा की धनराशि देयकों से काट ली जाएगी।
21. यदि वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा दिये गये चैक बैंक द्वारा किसी भी कारण से अनादरित कर बिना भुगतान के वापस किये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा तत्काल उसकी सूचना वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को मोबाईल/या दूरभाष पर ही दी जावेगी तथा वांछित राशि वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा तत्काल दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। साथ ही प्रत्येक अनादरित चेक के लिए राशि रूपये 1000/- अर्थदण्ड सहित दुग्ध संघ कर्यालय में आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराना होगी।

22. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रदाय चेक केवल तकनीकी कारणों को छोड़कर माह में तीन या उससे अधिक बार अनादरित होते हैं तो संक्षिप्त समीक्षा कर वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
23. किन्हीं भी कारणों से वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को कार्य छोड़ने हेतु एक माह पूर्व (30 दिवस) का नोटिस देना अनिवार्य होगा। नोटिस अवधि में संघ द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। किन्तु निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित करने पर वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को यथावत कार्य करना होगा। इसी प्रकार उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को 30 दिवस को नाटिस देकर बिना कोई कारण बताएं हटा दिया जा सकेगा।
24. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं के पास पेन कार्ड नम्बर, जीएसटी एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार एफ.एस.एस.आई. लायसेंस होना अनिवार्य है। एफ.एस.एस.एआई. लायसेंस हेतु आवेदन की स्थिति में छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी व उपरोक्त समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने पर ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
25. निविदा की शर्तों/अनुबंधों में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर वितरक सह—परिवहनकर्ता को बिना कोई अग्रिम सूचना दिए संघ द्वारा हटाया जा सकेगा एवं यदि संघ उचित समझेगा तो वितरक सह—परिवहनकर्ता की अमानत राशि राजसात की जायेगी।
26. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं की कार्यावधि प्रथमतः तीन वर्ष होगी एवं कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष कर दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
27. किसी भी दशा में क्षेत्रीय विक्रय केन्द्र की आपूर्ति बन्द कर दी जाती है तो वितरक सह—परिवहनकर्ताओं का यह दायित्व होगा कि उस क्षेत्र के नियमित उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उसी क्षेत्र में करें।
28. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को प्रतिमाह मार्ग वार प्रतिदिन की दर वार विक्रय होने वाले दूध की मात्रा का माह में औसत विक्रय रिपोर्ट विक्रय केन्द्रों से प्राप्त कर दुग्ध संघ के प्रत्येक माह की 10 तारिख तक प्रस्तुत करना होगा। जिसके आधार पर दुग्ध संघ की स्थानिय विक्रय रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
29. कार्यक्षेत्र में स्थित डिपार्टमेन्टल स्टोर/माल/पार्लर/रिटेलर या आपातकालीन स्थिति में होम डिलीवरी दूध की प्रदायगी वितरक द्वारा की जाएगी परन्तु यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक द्वारा प्रदायगी नहीं की जा रही है तो दुग्ध संघ किसी भी दर पर सीधे प्रदाय हेतु स्वतंत्र होगा।
30. शहर में समय समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम, मेला प्रदर्शनी आदि आयोजनों में लगने वाले दूध की मांग यदि संघ को सीधे प्राप्त होती है तो संघ द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दरों पर दूध प्रदाय संबंधित वितरक सह परिवहनकर्ता के माध्यम से की जाएगी, संबंधित आयोजनकर्ता/संस्था से संघ द्वारा निर्धारित छूट देते हुए वितरक सह—परिवहनकर्ता को भुगतान प्राप्त करना होगा। अन्यथा संघ द्वारा सीधे व्यवस्था करने पर वितरक सह—परिवहनकर्ता को ऐसी प्रदायगियों पर कोई मर्जिन का भुगतान नहीं किया जावेगा।

31. वितरक सह—परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर सॉची दूध एक्स डेयरी डॉक उज्जैन पर उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड्डताल, भुकंप आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे सॉची दूध की उपलब्धता नहीं करा पाता है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
32. कार्य आवंटन उपरांत अनुबंध अवधि में यदि वितरक सह—परिवहनकर्ताओं की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य को आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों को निर्वहन करने के लिए वितरक सह—परिवहनकर्ता को विधि अनुसार उत्तराधिकारी नामित करना होगा। यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। इसके लिए वितरक सह—परिवहनकर्ता को उत्तराधिकारी करने हेतु सहमति देता है। इसके लिए वितरक सह—परिवहनकर्ता को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे संम्बंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
33. वितरक सह—परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारण वितरक सह—परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है तो इस संघ की अनुमति लेना आवश्यक है तथा वाहन के विक्रय/बदलने के लिए पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह—परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।
34. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को दूध प्रदाय करते समय प्रत्येक दृष्टि से उसकी जांच परख सुनिश्चित करना होगा। प्रदाय होने के पश्चात लीकेज/कम मात्रा अथवा क्रेट की जवाबदारी वितरक सह—परिवहनकर्ताओं की होगी।
35. दुग्ध संघ को किसी भी वितरक/संस्था/होटल/केन्टीन शादी समारोह में सीधे भी दूध प्रदाय करने का अधिकर होगा।
36. वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन अहस्तांतरणीय होगा। यदि कार्य अवधि में किसी भी समय यह पाया जाता है कि वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी अथवा संस्था आदि को हस्तांरित किया है तो दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
37. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के संबंध में कोई विवाद खड़ा हुआ तो उसे मध्यस्थता (Arbitrator) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) अध्यक्ष, उज्जैन दुग्ध संघ, उज्जैन के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
38. इस अनुबंध को न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह—परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक .....निष्पादित किया गया है।
39. वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा द्वारा मार्ग क्रमांक ..... पर स्थित सॉची दूध के निर्धारित विक्रय केन्द्रों (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है) पर सॉची दूध, निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
40. वितरक सह—परिवहनकर्ता को डेयरी डॉक से प्राप्त किये गये सॉची दूध का वितरण कार्य केवल इंसुलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।

41. वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
42. दुग्ध संघ डेयरी डॉक उज्जैन से पैकड़ साँची दूध क्रेट में रखकर देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक को उठाना होगा। डेयरी डॉक से वितरक सह—परिवहनकर्ता छांट कर अच्छी तरह से देखकर दूध का पैकेट प्राप्त करेंगे एक बार प्रदायगी पश्चात् गुणवत्ता एवं लिकेज़ टूट—फूट आदि की जिम्मेदारी वितरत सह—परिवहनकर्ता की होगी।
43. वितरक सह—परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर के नाम व पता दुग्ध संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
44. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को दुग्ध संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य वितरक सह—परिवहनकर्ता अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ, वितरक सह—परिवहनकर्ता को कार्य आवंटन बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहेगा।
45. वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा दी गई मांग अनुसार दुग्ध संघ द्वारा प्रदायगी हेतु डी.एम./गेटपास बनाये जाएंगे। वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा डी.एम./गेटपास अनुसार ही दूध की मात्रा वाहन में लोड की जावेगी। निरीक्षण के दौरान कभी भी डी.एम./गेटपास में अंकित विवरण से अधिक मात्रा में दूध, क्रेट अथवा अन्य सामग्री पायी जाती है तो अधिक पाई गयी दूध, क्रेट अथवा अन्य सामग्री की उपभोक्ता दर से 100 गुना तक अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। इसकी बार—बार पुनर्वर्ती होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
46. वितरक सह—परिवहनकर्ता को दिन/रात्री पारी में पृथक—पृथक अपने अधिकृत प्रतिनिधि डेयरी डॉक उज्जैन पर अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध रखने होंगे, जो वाहनों में अपने समक्ष दूध लोड करायेगे तथा समय पर मांग उपलब्ध कराने तथा क्रेट वापसी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
47. वितरक सह—परिवहनकर्ता को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिससे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जावेगी।
48. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेन्टों के बीच उठे विवादों को वितरक सह—परिवहनकर्ता अपने उपस्थिति में शांति पूर्वक सुलझावेगा, ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आने दें।
49. वितरक सह—परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्णरूपेण जवाबदार होगा, तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय—समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानुनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
50. वितरक सह—परिवहनकर्ता से जो भी बकाया राशि/अर्थदण्ड की राशि वसूली किया जाना अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित है की वसूली वितरक सह—परिवहनकर्ता से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जाएगी। राशि वसूल नहीं होने पर न्यायालयीन कार्यवाही एवं आर.आर.सी की कार्यवाही की जावेगी।

51. वितरक सह—परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकता अनुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विक्रय की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा—जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य से उपलब्ध कराएगा।
52. वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य हेतु वितरक सह—परिवहनकर्ता को इंसुलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित कराना अनिवार्य होगा।
53. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिय के अन्तर्गत वितरकों के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।
54. वितरक सह—परिवहनकर्ता को शासन द्वारा जारी फूड लायसेंस लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति संघ कर्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवंटित मार्ग पर स्थित सभी साँची पॉर्लर/एजेन्सी/ विक्रय केन्द्रों से भी फूड लायसेन्स की कॉपी लेना होगी। अगर किसी साँची पॉर्लर/एजेन्सी/ विक्रय केन्द्रों पर फूड लायसेन्स न हो तो उसे दूध की प्रदायगी नहीं की जावेगी।
55. निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 में दी गई समस्त शर्तें इस अनुबंध का भाग माने जाकर द्वितीय पक्षकार पर बंधनकारी होंगे।
56. डेयरी परिसर में अंदर वितरक सह—परिवहनकर्ता के अधिन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धुम्रपान, तम्बाकु, शराब आदि का सेवन एवं ऊंची आवाज में गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा, साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधितम 20 कि.मी. प्रतिघंटा रखी जावेगी।
57. वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार वाहन डेयरी डॉक उज्जैन पर दूध लोडिंग हेतु नहीं लगाया जाता है तो रु. 500/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
58. वितरक सह—परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक सह—परिवहनकर्ता को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
59. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
60. निविदा की प्रक्रिया/ शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा समय—समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध का भाग माना जावेगा, व उसका पालन वितरक सह—परिवहनकर्ता को अनिवार्य रूप से करना होगा।
61. टंकण त्रृटि या किसी अन्य कारण से अनुबंध की कण्डिका की स्पष्टता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब अनुबंध की कण्डिका को स्पष्ट करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होगा, जो कि द्वितीय पक्ष को बन्धनकारी होगा।
62. यह कि मार्ग क्रमांक .....पर श्री ..... वितरक सह—परिवहनकर्ता के रूप में .....पैसे प्रतिलीटर पर कार्य करेंगे। (जिसमें वितरक मार्जिन ..... पैसे प्रतिलीटर एवं परिवहन दर ..... पैसे प्रतिलीटर समाहित होगी।)

मैं ..... पिता / पति / पत्नि ..... वितरक सह—  
परिवहनकर्ता, मार्ग क्रमांक ..... अपनो उत्तराधिकारी, (नामिनी), श्रीश्रीमती .....  
..... को घोषित करता हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक ..... को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समस्ति तक प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषप्रद कार्य करने पर “नोड्यूज” प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा सभी प्रकार के देयकों की वसूली उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा अमानत राशि व बैंक ग्यारंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष ने यह अनुबंध पत्र की शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहें एवं समय पर काम आये।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ  
मर्या. मक्सी रोड, उज्जैन –  
456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)  
वितरक सह—परिवहनकर्ता  
नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम : .....

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 2

नाम : .....

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम : .....

पता: .....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 2

नाम : .....

पता: .....

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का  
शपथ पत्र का प्रारूप  
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

|        |         |
|--------|---------|
| नाम    | — ..... |
| पिता   | — ..... |
| आयु    | — ..... |
| निवासी | — ..... |

1— उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर में साँची दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा उज्जैन शहर में साँची दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता हेतु मार्ग क्रमांक ..... के लिए निविदा में भाग लिया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक ..... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

### सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप |  
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

|        |   |
|--------|---|
| नाम    | — |
| पिता   | — |
| आयु    | — |
| निवासी | — |

1— उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा आमंत्रित उज्जैन शहर में साँची दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता हेतु मार्ग क्रमांक ..... के लिए मेरे द्वारा ई—निविदा प्रस्तुत की गई है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नवीन/अनुबंधित/वर्ष 2016 के बाद का इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूं अन्यथा मेरा ओवदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक ..... उज्जैन

## हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... उज्जैन

## हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

एमपीसीडीएफ या अन्य दुर्घ संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी  
शपथ पत्र का प्रारूप।  
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

|        |   |
|--------|---|
| नाम    | — |
| पिता   | — |
| आयु    | — |
| निवासी | — |

1— मेरे द्वारा उज्जैन सहकारी दुर्घ संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा आमंत्रित उज्जैन शहर मार्ग क्रमांक ..... हेतु साँची दुर्घ वितरक सह—परिवहनकर्ता ई—निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मुझे एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुर्घ संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक ..... उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

..

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराइज्ड कराना है।)

|        |   |
|--------|---|
| नाम    | — |
| पिता   | — |
| आयु    | — |
| निवासी | — |

1— उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा आमंत्रित उज्जैन शहर मार्ग क्रमांक ..... हेतु सॉची दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता ई—निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता / करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक ..... उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

..

### सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

| मार्ग क्रमांक — 03                      |                       |                             |  |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|
| कुल विक्रय मात्रा (औसत प्रतिदिन) — 7090 |                       |                             | वाहन का प्रकार — वाहन आवश्यक क्षमता अनुसार) मॉडल — 2016 या उसके बाद का |
| क्र.                                    | विक्रय केन्द्र का नाम | स्थान का नाम                | औसत दुग्ध विक्रय मात्रा (लीटर)   |
| 1                                       | महांकोलेश्वर सॉची     | कानीपुरा                    | 150  |
| 2                                       | श्री किराना           | मालीपुरा                    | 450  |
| 3                                       | वृन्दावन डेयरी        | मालीपुरा                    | 120  |
| 4                                       | क्षीरसागर पॉर्लर      | क्षीरसागर                   | 140  |
| 5                                       | सांई कृष्ण            | क्षीरसागर                   | 90   |
| 6                                       | बाना नमकीन            | मालीपुरा                    | 200  |
| 7                                       | मूल चंद्र             | नई सड़क                     | 120  |
| 8                                       | रेखा भावसार           | नई सड़क                     | 90   |
| 9                                       | श्री अरुण किराना      | नई सड़क                     | 110  |
| 10                                      | श्री हरि भारती        | ढांचा भवन                   | 110  |
| 11                                      | साहित्य सॉची पॉर्लर   | ढांचा भवन                   | 120  |
| 12                                      | जय महाकाल किराना      | ढांचा भवन                   | 150  |
| 13                                      | जान्वी                | ढांचा भवन                   | 280  |
| 14                                      | जनरल वार्ड            | सिविल हॉस्पीटल              | 200  |
| 15                                      | आदिल एचर फ्रेश        | ढांचा भवन                   | 120  |
| 16                                      | महालक्ष्मी किराना     | ढांचा भवन                   | 110  |
| 17                                      | सांई किराना           | ढांचा भवन                   | 80   |
| 18                                      | स्टिकी पॉर्लर         | ढांचा भवन                   | 95   |
| 19                                      | राजा किराना           | ढांचा भवन                   | 90   |
| 20                                      | शैलेन्द्र नागर        | ढांचा भवन                   | 110  |
| 21                                      | रत्नलाल               | ढांचा भवन                   | 120  |
| 22                                      | प्रमोद नागर           | ढांचा भवन                   | 140  |
| 23                                      | श्री सुरेश बाबुलाल    | इन्द्रानगर अगररोड उज्जैन    | 650  |
| 24                                      | श्री तरुण भगवती       | इन्द्रानगर अगररोड उज्जैन    | 200  |
| 25                                      | गुरुकृष्ण पान         | चामुण्डा माता चौराहा अगररोड | 110  |
| 26                                      | विनायक किराना         | आगर रोड                     | 120  |
| 27                                      | दिव्या पंवार          | मोहन नगर                    | 110  |
| 28                                      | सांवरिया दूध सेंटर    | आगर नाका                    | 95   |
| 29                                      | धनवन्तरी हॉस्पीटल     | आगर रोड                     | 85   |
| 30                                      | भैरुगढ़ जैल           | भैरुगढ़ उज्जैन              | 300  |
| 31                                      | कान्हा डेयरी          | भैरुगढ़ उज्जैन              | 140  |
| 32                                      | श्री राम किराना       | भैरुगढ़ उज्जैन              | 130  |
| 33                                      | दिलीप अवस्थी          | अंकपात मार्ग                | 120  |
| 34                                      | श्री रमेश दुबे        | अंकपात मार्ग                | 110  |
| 35                                      | पिपलीनाका एजेन्सी     | पिपलीनाका चौराहा            | 120  |
| 36                                      | आडी गार्डी            | आगर रोड                     | 130  |
| 37                                      | मनीष जोशी             | इन्द्रानगर अगररोड उज्जैन    | 110  |
| 38                                      | योगेश ठाकुर           | इन्द्रानगर अगररोड उज्जैन    | 130  |
| 39                                      | विजेन्द्र पाटीदार     | इन्द्रानगर अगररोड उज्जैन    | 270  |
| 40                                      | गोपाल पंवार           | आगररोड उज्जैन               | 220  |
| 41                                      | श्री विनोद मिल        | आगररोड उज्जैन               | 90   |
| 42                                      | निजादपुरा राव         | निजातपुरा                   | 140  |
| 43                                      | मनीष जोशी             | इन्द्रानगर अगररोड उज्जैन    | 140  |
| 44                                      | योगेश ठाकुर           | इन्द्रानगर अगररोड उज्जैन    | 110  |
| 45                                      | अरुण किराना           | इन्द्रानगर अगररोड उज्जैन    | 125  |
| 46                                      | महालक्ष्मी किराना     | आगर रोड                     | 140  |
|   | औसतन दुग्ध विक्रय     |                             | 7090   |

उज्जैन शहर समस्त कार्यक्षेत्र का चार भागों में विभाजन निम्नानुसार है :—



नोट :- मार्गवार कार्यक्षेत्र की अधिक जानकारी आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्यालयीन दिवस में उज्जैन दुग्ध संघ की विपणन शाखा से प्राप्त की जा सकती है।